संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कंचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

4415

भोपाल,दिनांक:- 21 /09/2023

क्रमांक 4415 /टीसी/110/इंदौर/उपां/नगानि/2022-23 भोपाल - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **इंदौर** विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	ग्राम कस्बा इंदौर तहसील जूनी इंदौर जिला इंदौर	866/1/2 866/3/1/2	0.354 0.546	0.354 0.546	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
	कुल रकबा		0.900	0.900		

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है अत: मार्ग के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अत: मार्ग के विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपतियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx